शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिये यू0के0एस0ई0ई0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त राजकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी पंतनगर, कॉलेज ऑफ बेसिक सांईस एण्ड हयूमटीज, पंतनगर तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों एवं प्राईवेट कालेजों में शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिये यू0के0एस0ई0ई0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने वाने समस्त अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे काउंसिलिंग में भाग लेने से पूर्व एवं अपने पाठ्यक्रम/कॉलेज का विकल्प (choice) भरने से पूर्व निम्नलिखित प्राविधानों एवं दिशा–निर्देशों को भलीभांति पढ लेः–

1. यू0के0एस0ई0ई0 2019 कांउसिलिंग हेतु केवल 2000/– प्रतिछात्र (समस्त वर्ग) केवल एक बार ऑनलाईन माध्यम से देय होगा।
2. यू0के0एस0ई0ई0 2019 ऑनलाईन कांउसिलिंग रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित शुल्क रू0 2000/– का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से देय होगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तिम दिवसों में अधिकतर अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/भुगतान हेतु अन्तिम दिवस का इन्तजार न करे। यदि रजिस्ट्रेशन के अन्तिम दिवस में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने से भुगतान/रजिस्ट्रेशन नही हो पाता है तो इसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होंगे।
3. M.Tech/M.Pharm/MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी में सर्वप्रथम GATE/GPAT/CAT/MAT तद्उपरान्त यू0के0एस0ई0ई0 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
4. बी0टैक लैटर एंट्री एंव् बी0फार्मा लैटर एंट्री में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनके अन्तर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है अथवा जिन्होने उत्तराखण्ड में स्थित किसी संस्थान से डिप्लोमा/बी0एस0ई0 (पी0सी0एम) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो को ही सीट आंवटित की जायेगी।
5. तथा अन्य पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनको राज्य (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। परन्तु उन्हे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे– दिव्यांग

05.08.2019

(PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आरक्षण देय नही होगा।

6. ऐसे सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनके अन्तर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी जो उत्तराखण्डत के स्थायी निवासी नहीं है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है और जिन्होंने उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से 10+2/प्रवेश से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अभ्यर्थी ऑल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आयेगें या वो उत्तराखण्ड की सामान्य श्रेणी में सीट लें सकते है।

7. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्र्तगत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्यपिछ्ड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांग(PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित(FF), सैनिकों के आश्रितों (Ex-AF), महिला (W) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW), का लाभ लेने केलिये अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

8. ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी मूल निवास प्रमाण–पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसीभी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनकों राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणीमें सीट आवंटित की जायेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य (Gen) श्रेणी के अन्तर्गतमहिला (W) आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) नही मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड की स्थायी/मूलनिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य है। अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी राज्य (उत्तराखण्ड)कोटे के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में Open Seat (OP) का चयन करें।

9- आल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य आरक्षण निर्धारित है किन्तु सक्षमस्तर से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

10. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचति जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्यपिछडा वर्ग (OBC) दिव्यांग(PH) स्वंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर सेनिर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्रविगत तीन वर्ष के अन्दर बना होना चाहिए। साथ ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है । साथ यह शपथ पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होगा की वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नही आते है। यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

05.08.2019

12. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में शासनादेश संख्याः 348/XXXIV(8)/10-26/10 दिनांक 19.01.2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्याः 647/XLI-1/12-26/10, दिनांक 20.06.2012 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो और जिनके अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक आय 4.50 लाख से कम हो ऐसे अभ्यर्थियों के पास सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से किसी भी कॉलेज (निजी एवं सरकारी) द्वारा प्रत्येक वर्ष लिये जाने वाला शिक्षण शुल्क (Tution Fee) नही लिया जायेगा।

13. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में केवल बी0एच0एम0सी0टी0 प्रथम वर्ष अभ्यर्थीयों में से लाभ प्रदान किया जायेगा।

14. यू0के0एस0ई0ई0 कांउसिलिंग के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ए0आई0सी0टी0 के नियमों का पालन किया जायेगा तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अपनी अन्तिम परीक्षा (डिप्लोमा, बी0टैक, बी0फार्मा, स्नातक,10+2) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है अन्यथा की स्थिती में किसी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

15. शासनादेश संख्या 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12.07.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग Economic Weaker Seaction के अभ्यर्थियों के लिये पाठ्यक्रमों में सत्र 2019-20 से 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यथियों द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग के समय EWS श्रेणी में चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। EWS आरक्षण हेतु सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किये जायेगें।

16. किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नं0 9411547415, 9634234200 पर दिनांक 05 अगस्त, 2019 से प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

05.08.2019